

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखाण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 08/2025

अनवान: कंवरपाल कौर बनाम दिलजोत सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152, 153 सीपीसी

--निर्णय--

दिनांक : 11.03.2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 151, 152, 153 सीपीसी पेश कर निवेदन किया। कि प्रकरण संख्या 283/2023, अनवान कंवरपाल कौर बनाम दिलजोत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 188 आरटीए का निर्णय मय डिक्री दिनांक 04.11.2024 को पारित किया गया है। जिसमें वाद व निर्णय में सहवन से मुरब्बा नम्बर 35 के स्थान पर 15 अंकित हो गया है। अतः वादपत्र के अनुतोष एवं निर्णय मय डिक्री दिनांक 04.11.2024 को दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जावे।


हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र के अनुतोष एवं निर्णय मय डिक्री दिनांक 04.11.2024 को दुरुस्त किए जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने अधिवक्तागण के प्रार्थना पत्र तथा प्रकरण संख्या 283/2013, अनवान कंवरपाल कौर बनाम दिलजोत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के निर्णय मय डिक्री दिनांक 04.11.2024 का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन-निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी" धारा 153 में प्रावधान है कि न्यायालय किसी भी समय खर्च सम्बन्धी ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे वाद की किसी भी कार्यवाही में, किसी गलती या त्रुटियों को संशोधित कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र धारा 151, 152, 153 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष लेखन में भूल होने से हुआ है तथा वादपत्र के अनुतोष एवं निर्णय मय डिक्री दिनांक 04.11.2024 में मुरब्बा नम्बर 15 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 35 पढे जाने के आदेश दिये जाते है। संशोधित डिक्री जारी हो। आदेश प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 11.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



  
[श्योराम आर.एस.] जस्य  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखाण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर